

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय)  
जयपुर परिसर, जयपुर

रा.सं.सं.ज./प्रशा./2019-20/2736

दिनांक 20.03.2020

कार्यालय आदेश 525

वैश्विक महामारी कोरोना वाइरस (COVID-19) से बचाव हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) भारत सरकार के पत्रांक 11031/9/2014-Estt (A-III) दिनांक 19.03.2020, मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, राजस्थान सरकार तथा राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों के आलोक में दिनांक 04.04.2020 तक परिसरीय कर्मचारी अधोलिखित निर्देशानुसार कार्य करेंगे -

1. 50 प्रतिशत कार्मिक कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य करेंगे तथा शेष 50 प्रतिशत घर से कार्य (Work for home) करेंगे। कार्मिक घर से ऑनलाइन कार्य भी कर सकेंगे। कार्मिक शटडाउन का अर्थ अवकाश न समझें, आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
2. ग्रुप बी एवं सी के कर्मचारी कार्यालय दिवसों में समयानुसार दो समूहों (पूर्वाह्न एवं अपराह्न) में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
3. शैक्षणिक कर्मचारी साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार घर पर व कार्यालय में कार्य करेंगे, वे दूरभाष एवं इलैक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से कार्यालय से संपर्क में रहेंगे। कार्मिक मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे, उन्हें अत्यंत जरूरी होने पर कार्यालय में बुलाया जा सकता है उसके लिये उन्हें तैयार रहना होगा।

(प्रो. अर्कनाथ चौधरी)  
प्राचार्य

प्रतिलिपि :

1. कुलपति महोदय, रा.सं.सं., नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव महोदय, रा.सं.सं., नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक, रा.सं.सं., नई दिल्ली को सूचनार्थ।
4. सभी विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ।
5. समन्वयक, मुक्तस्वाध्यायपीठ, जयपुर परिसर।
6. प्राकृत विभाग तथा योग एवं आयुर्वेद विभाग।
7. पुस्तकालय विभाग।
8. प्रशासन विभाग।
9. कार्यालय आदेश संचिका।
10. लेखा विभाग।
11. गार्ड फाईल।
12. नोटिस बोर्ड।
13. परिसर वेबसाइट।
14. संबंधित संचिका।